न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, बेतिया ।

जी आर वाद संख्या– 1982/96

CIS NO.1982/96

राज्य बनाम अरूण कुमार

19.01.2023 कुल दो अभियुक्त अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक– से अभियुक्तगण अनुपस्थित चले आ रहे है। तत्कालीन विद्वान अनुमडंल न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक–05.10.2004 को दोनो अभियुक्तगण का बंधपत्र खंडित किया गया था। तत्पश्चात् इनके विरूद्ध अजामनतीय अधिपत्र जारी किया गया था और धारा 82,83 का प्रोसेस अंतर्गत द.प्र.सं. की कार्रवाई की गई है। इसके बाबजूद संबंधित थाना द्वारा प्रोसेस का तामिला प्रतिवेदन को सुपुर्द नहीं किया गया है।तामिला हेतु केई पत्र इस न्यायालय द्वारा पत्रांक 697/19 दिनांक–20.09.2019 एंव पत्रांक 92/22 दिनांक–26.04.2022 को निगत है।यह वाद दोनो नामित अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

वाद वर्ष 1996 का है। वाद बहुत पुराना है। वाद की कार्यवाही अभी तक लंबित चला आ रहा है। न तो अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हो रहे है और न ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लाया जा रहा है। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–19.07.1997 को कुल चार अभियुक्तो के के विरूद्ध धारा 409/411/34 भा.द.वि. में दण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है। जिसमे से एक अभियुक्त हरेन्द्र सिंह का नाम वाद इस से विलोपित किया गया है एंव दो अभियुक्त राम बाबु पटेल पिता शिवशंकर पटेल एंव अरूण कुमार पिता रामायण प्रसाद का वाद दिनांक–24.06.2016 को मुल से पृथक किया गया है एंव इस न्यायालय मे पृथक वाद दोनो अनुपस्थित अभियुक्तो के विरूद्ध चल रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण की उपस्थिति निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्थायी अधिपत्र निर्गत करना समुचित प्रतीत होता है। तदनुसार

न्यायालय अनुमडंल न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, बेतिया ।
जी आर वाद संख्या-- 1982/96
CIS NO.1982/96
राज्य बनाम अरूण कुमार

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि नामित अभियुक्तों का नाम विचारण पंजी से हटाकर फरार अभियुक्तों की पंजी में दर्ज करें तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें और नियमानुसा र अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि अभियुक्तगण के उपस्थित होने तक अभिलेख को विनष्ट न किया जाय।

लेखापित

19.01.23

अनु0 न्या0 दण्डा0
बेतिया ।